

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा0पं0- आनंदपुरी

वि0ख0- अमोली

जनपद- अदोली

ग्राम पंचायत में दिनांक.....को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु0जा0 / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन) उपाय	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल न0
1	नरमुल्ल	086 55	अध्यक्ष	9793142698-
2	संजय सराज	सराज 38	सचिव	8081360033
3	अजीमुल्ल	मोसुरी 45	कोषाध्यक्ष	9559820283
4	मुकेश	सराज 35	सामान्य सदस्य	9889705112-
5	वकील	मोसुरी 43	सामान्य सदस्य	9621758714-
6	सलीम	मोसुरी 36	सामान्य सदस्य	8953984501
7	उज्ज्वल	सराज 35	सामान्य सदस्य	
8	हरिजन	बफारिया 40	सामान्य सदस्य	9005678795
9	राजेश	गादवा 36	सामान्य सदस्य	
10	कंजीज फालाम	राज 35	सामान्य सदस्य	
11	श्याम	डफाली 35	सामान्य सदस्य	
12	जरीन	नर 34	सामान्य सदस्य	
13	रजू	यजापूर 33	सामान्य सदस्य	9616647948
14	हिरावती	वमर 37	सामान्य सदस्य	707656568
15	मुल्ल	सराज 36	सामान्य सदस्य	9118709745

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।



8- कार्यक्रम की प्रवृत्ति के प्रवर्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसको संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने के स्तर पर निगमानुसार एवं आवश्यकतानुसार भुगतान करने एवं "Align Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबंध पत्र (CONTRACT) तैयार करे।

11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उत्पादन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करे।

12- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

13- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रवर्धन हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति को निरीक्षण में सहयोग प्रदान करे।

14- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-प्राणीय पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-प्राणीय योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रवर्धन एवं अधिकतम जलापूर्ति हेतु संयोजन करे।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपरिष्ठ सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि० अमूर्त
1	नरेश कुमार	अध्यक्ष	नरेश कुमार
2	राजेश	सचिव	8081360033
3	अनिल कुमार	कोषाध्यक्ष	अनिल कुमार
4	सुदीप	सामान्य सदस्य	सुदीप
5	नरेश	सामान्य सदस्य	नरेश
6	राजेश	सामान्य सदस्य	राजेश
7	अनिल कुमार	सामान्य सदस्य	अनिल कुमार
8	सुदीप	सामान्य सदस्य	सुदीप
9	नरेश	सामान्य सदस्य	नरेश
10	राजेश	सामान्य सदस्य	राजेश
11	अनिल कुमार	सामान्य सदस्य	अनिल कुमार
12	सुदीप	सामान्य सदस्य	सुदीप
13	नरेश	सामान्य सदस्य	नरेश
14	राजेश	सामान्य सदस्य	राजेश
15	अनिल कुमार	सामान्य सदस्य	अनिल कुमार

